रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 9 अक्तूबर, 2002/17 आश्विन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 8 अक्तूबर, 2002

क्रमांक पी० सी० एच०-एस०एम० एल० 9/2000.—एतद्द्वारा श्री राम दयाल, उप-प्रधान ग्राम पंचायत धमून विकास खण्ड, मशोबरा तहसील व जिला शिमला (हि० प्र०) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नतः है :—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है।"

2410-राजपत्र/2002 9-10-2002—1,356 मूल्य : 1 रुपया ।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "सेवा" या "नियोजन" के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं।

क्योंकि उक्त श्री राम दयाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धमून के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पत्र की प्रारम्भिक छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा के माध्यम से करवाई गई तथा उनकी छानबीन रिपोर्ट के साथ प्राप्त वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल शिमला की सूचना अनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री राम दयाल, ग्राम पंचायत, धमून के उप-प्रधान पद पर रहते हुए वर्ष 1-1-1995 से वन विभाग शिमला मण्डल में भी बतौर दैनिक भोगी मजदूर कार्यरत रहा है, जिस कारण श्री राम दयाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत धमून में उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए निरर्हित पाये गये हैं।

अतः मैं, पी0 सी0 कटोच, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री राम दयाल उप-प्रधान ग्राम पंचायत धमून, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वे इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत धमून के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाकर ग्राम पंचायत, धमून का उप-प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।

पी0 सी0 कटोच,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित